JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

ज्ञापांक : BRLPS/Project/427/14 13393 दिनांक : 10/12/14

कार्यालय आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जीविका द्वारा राज्य के सभी भागों में अपनी भौगोलिक उपस्थिति के विस्तार की दिशा में आवश्यक तैयारी की जा चुकी है। विभिन्न जिलों के सभी प्रखण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु कर्मियों का सफलता पूर्वक पदस्थापन किया जा चुका है। प्रखण्डों में कर्मियों के पदस्थापन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है और उन्हें अधिक सशक्त बनाने की दिशा में उचित कदम उठाये जाने की आवश्कयता है। आप सभी अवगत हैं कि जीविका के माध्यम से सामुदायिक संगठनों के निर्माण तथा उनके गुणवत्तायुक्त संपोषण पर काफी बल दिया जाता है। उचित समय पर क्षमतावार्धन एवं सम्पोषण के उपरान्त जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund) के रूप में आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund), परिक्रमी निधि (Revolving Fund), स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Health Risk Fund), खाद्य सुरक्षा निधि (Food Security Fund) एवं जीविकोपार्जन निधि (Livelihoods Fund) इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के जीविकोपार्जन विषयक मुद्दों के समाधान की दिशा में सामुदायिक निवेश निधि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह पाया गया है कि आरंभिक पूंजीकरण निधि एवं परिक्रमी निधि के प्रावधान के चलते स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऊँची ब्याज वाली ऋण राशि को चुकाने, आपातकालीन स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने, जीविकोपार्जन के आवश्यक कार्यकलाप प्रारंभ करने, पुत्री के विवाह एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में अच्छी खासी सहायता मिली है। **जीविका की ओर से समुदाय के सदस्यों में सूक्ष्म नियोजन (Micro Plan) की अवधारणा को विकसित किया गया है जिसके तहत समुदाय के सदस्यों में जिम्मेदारी के साथ लेन-देन करने (Responsible Borrowing Behaviour) की आदत पड़ती है जब सामुदायिक संगठनों की ओर से उन्हें सामुदायिक निवेश निधि की राशि उपलब्ध करायी जाती है।** सदस्य स्तर पर जिम्मेदारी भरा व्यवहार सामुदायिक संगठनों को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है।

सूक्ष्म नियोजन (Micro Planning) के अन्तर्गत समूह के सर्वाधिक गरीब या असमर्थ (Very poor or Vulnerable) सदस्यों को प्राथमिकता दिये जाने एवं सभी सदस्यों के साथ भुगतान से संबंधित पहलु पर विचार-विमर्श करने का प्रावधान सम्मिलित है। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के उपरान्त सामुदायिक संगठनों

के पूँजीकरण से सामुदायिक संगठनों एवं इनके सदस्यों में गतिशीलता एवं निर्णय क्षमता का विकास होता है। पूँजीकरण की पूर्ण प्रक्रिया को गति देने की दृष्टि से जिला परियोजना समन्वयन इकाइयों एवं प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों को निम्नलिखित कार्यनीति के अनुरूप कार्य करने का निदेश दिया जाता है:-

(a) स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों को खोलने की दिशा में उचित कागजात/दस्तावेजों को तैयार करने की कार्यनीति पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए । समूहों का बचत खाता बैंकों में खुलना पूंजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग है जिसके तहत प्ररिक्रमी निधि एवं आरंभिक पूंजीकरण निधि सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही वैसे समूहों के लिए जो पंचसूत्र का पालन कर रहें हैं और जिनके कार्यकलाप पूरी तरह से संतोषजनक हैं, उनका बैंक से वित्त पोषण हेतु दस्तावेज तैयार करने की जरूरत है। **अगर शुरू से इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तम गुणवत्ता से तैयार किये गये दस्तावेजों की तैयारी में कठिनाई हो सकती है।**

(b) वैसे समूह जो पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं और पूर्व निर्गत निदेशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उन्हें आरम्भिक पूँजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) एवं परिक्रमी निधि (Revolving Fund) उपलब्ध कराना जीविका की योजना रही है। सामुदायिक संगठनों के स्तर पर गतिशीलता एवं निर्णयक्षमता के विकास हेतु पूँजीकरण की इस प्रक्रिया पर बल दिया जाना अनिवार्य है। **ससमय पूँजीकरण एक महत्वपूर्ण अवयव है तथा इस पर ध्यान देने की जरूरत है।**

(c) **यह सुनिश्चित किया जाय कि दिसम्बर 2014 तक परियोजना के सभी कर्मी एवं कम्युनिटी कैडर (Community Cadre जैसे Community Mobilizer एवं चिन्हित Community Resource Persons) को बैंक संबंधी दस्तावेज (बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज दस्तावेज) एवं सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवा दिया गया है ।** इस सम्बंध में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को एक प्रतिवेदन भी उपलबध कराया जाय। सम्बंधित जिला एवं प्रखण्ड इकाई इसे अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। ऐसा करने से सूक्ष्म नियोजन दस्तावेजों को तैयार करने एवं सामुदायिक संगठनों में ससमय पूँजीकरण का कार्य आसान हो जायेगा। इस विषय में लगभग 2500 कर्मियों को जिला परियोजना समन्वयन इकाइयों द्वारा सूक्ष्म नियोजन पर प्रशिक्षित किया गया है। इस बात की आवश्यकता है कि परियोजना के सभी कर्मियों एवं कम्युनिटी कैडर (Community Cadres) का समय सीमा के अंदर इस विषय पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

(d) विगत 3-4 महीनों की अवधि में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा 250 से ज्यादा प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों को बैंक संबंधी दस्तावेजों एवं सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने अपने प्रखण्डों में कर्मियों एवं कैडर को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अपेक्षा यह भी की गयी थी कि वे अपनी तरफ से सूक्ष्म नियोजन की दिशा में

पहल करेंगे और गुणवत्ता पूर्ण सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लान) तैयार करेंगे। **प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों को निदेश दिया जाता है कि वे कम से कम 2 सूक्ष्म नियोजन दस्तावेजों की तैयारी प्रति माह अपनी हस्तलिपि में करें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक को समर्पित कर दें।** इस निदेश पर कम से कम अगले 6 महीनों तक अमल किया जाय। यह आवश्यक है कि प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के स्तर पर सूक्ष्म नियोजन की अवधारणा की समझ अच्छी हो। समुदाय स्तर पर अपनी उपस्थिति सूक्ष्म नियोजन के समय सुनिश्चित करने से सामुदायिक संगठनों के साथ संवाद प्रभावी ढंग से स्थापित हो पाएगा और प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को विभिन्न कार्यकलापों को प्रभावी तथा पारदर्शी ढंग से लागू करने में सहयोग प्राप्त होगा । प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों को 6 माह की उपर्युक्त अवधि के उपरांत भी प्रति माह कम-से-कम एक सूक्ष्म नियोजन अपने हस्तलिपि में तैयार करने की नीति को बनाये रखने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी जीविकोपार्जन विशेषज्ञ (लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट- Livelihood Specialist) द्वारा भी प्रति माह दो सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज तैयार किये जाएँ। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दिशा में इनके क्रियाकलाप एवं उपलब्धि की समीक्षा उनकी सेवा संपुष्टि (Confirmation) एवं वार्षिक Performance Appraisal के दौरान किया जायेगा।

(e) **प्रशिक्षण कोषांग एवं वित्तीय समावेशन टीम को निदेशित किया जाता है कि ऊपर अंकित समय-सारणी के अनुरूप सभी परियोजना कर्मियों एवं कम्युनिटी कैडर (Community Cadre) का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। यह भी निदेशित किया जाता है कि जिला परियोजना प्रबंधक उन प्रबंधकों एवं कर्मियों का सहयोग लें जो पूर्व में प्रशिक्षण कोषांग से सम्बद्ध रहे हों और जिन्होंने सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में पूर्व में अथवा वर्त्तमान पद स्थापना के दौरान अपनी पहचान बनायी हो।** बैंक दस्तावेजों की तैयारी एवं सूक्ष्म नियोजन से सम्बंधित प्रशिक्षण को समय पर पूरा किया जाना अनिवार्य है और जिला परियोजना प्रबंधकों को इसे उचित प्राथमिकता देनी है। इस सम्बंध में सभी जिला परियोजना प्रबंधक उचित संख्या में संसाधन सेवियों (Resource Persons) की पहचान एवं प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित योजना बनाये। **सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाये रखने के लिए इस विषय में नियमित एवं पुनः प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।**

(f) **सभी क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयक अपनी हस्तलिपि में प्रति माह 4-5 सूक्ष्म नियोजन तैयार करेंगे। सम्बंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक इसे संकलित एवं संधारित करेंगे और इस विषय में जिला परियोजना समन्वयन इकाई को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।** इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी परियोजना कर्मी अपनी हस्तलिपि में सूक्ष्म नियोजन तैयार करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और प्रखंड परियोजना प्रबंधक तथा जिला परियोजना प्रबंधक को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह अत्यावश्यक है कि परियोजनाकर्मी समूह

सदस्यों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने हेतु सामुदायिक संगठनों के साथ क्रियान्वयन स्तर पर सान्निध्यता एवं समन्वय स्थापित करें। सूक्ष्म नियोजन की निर्धारित प्रक्रिया इस हेतु मददगार साबित होगी एवं स्वयं से सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज तैयार करने से समूह सदस्यों एवं सामुदायिक संगठनों की आवश्यकताओं का बेहतर ज्ञान होगा । सूक्ष्म नियोजन क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मी एवं कैडर का क्षमतावर्धन होगा तथा इससे सामुदायिक संगठनों को भी निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। **सामुदायिक समन्वयकों/क्षेत्रीय समन्वयकों के वार्षिक Performance Appraisal एवं सेवा संपुष्टि (Confirmation) के समय इसकी समीक्षा एवं मूल्याकंन किया जाएगा।**

(g) **सभी प्रशिक्षण पदाधिकारियों/ यंग प्रोफेशनल्स एवं जिला स्तर पर सभी प्रबंधकों को अपनी हस्तलिपि में प्रति माह कम-से-कम दो सूक्ष्म नियोजन तैयार करना है।** यह दायित्व जिला परियोजना प्रबंधकों को प्रत्यायोजित (Delegate) किया जाता है तथा इस सम्बंध में आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्म नियोजन की संख्या को घटाने का निर्णय लिया जा सकता है किन्तु संख्या में कटौती का निर्धारण तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर किया जाय। किसी भी परिस्थिति में सभी प्रबंधकों/ यंग प्रोफेशनल्स एवं प्रशिक्षण पदाधिकारियों को प्रति माह कम-से-कम एक सूक्ष्म नियोजन अपनी हस्तलिपि में अनिवार्यतः तैयार करना है। यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि वित्त प्रबंधक (Finance Manager) भी इस प्रक्रिया में भागीदारी निभायें ताकि वे सामुदायिक संगठनों की जरूरतों को समझ सकें और सूक्ष्म नियोजन तैयार कर सकें। **प्रशिक्षण पदाधिकारियों/यंग प्रोफेशन्ल्स एवं सभी जिलास्तर प्रबंधको के वार्षिक Performance Appraisal एवं सेवा संपुष्टि (Confirmation) के समय इसकी समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जायेगा।**

(h) **यह अनिवार्य है कि सूक्ष्म नियोजन की तैयारी की दिशा में जिला परियोजना प्रबंधक अभिरुचि लें तथा इसका समुचित पर्यवेक्षण करें। यह निदेशित किया जाता है कि वे दो महीना की अवधि में कम-से-कम एक सूक्ष्म नियोजन तैयार करें ताकि सामुदायिक सदस्यों के मुद्दों को वे समझ सकें।** सूक्ष्म नियोजन से सम्बंधित दस्तावेज जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाय तथा इनकी प्रति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को भेजी जाय। जिला परियोजना प्रबंधक इसे सुनिश्चित करें। यह निदेश अगले 6 महीने के लिए प्रभावी होगा और इसके उपरान्त प्रति quarter कम-से-कम एक सूक्ष्म नियोजन के दस्तावेज की तैयारी जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा की जायेगी। **इसका मूल्यांकन जिला परियोजना प्रबंधकों की सेवा संपुष्टि (Confirmation) एवं वार्षिक Performance Appraisal के समय होगा।**

(i) जिला परियोजना समन्वयन इकाईयों द्वारा विभिन्न प्रखंडों में आवश्यकतानुसार बैंक एवं सूक्ष्म नियोजन से सम्बंधित दस्तावेज की तैयारी हेतु सामुदायिक संसाधन सेवियों (Community Resource Persons) की सेवा प्राप्त करने की कार्यनीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। चिह्नित

किये गये सामुदायिक संसाधन सेवियों को बैंक सम्बद्धता एवं सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया से सम्बंधित कागजातों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए इस विषय पर समुचित एवं गुणवतायुक्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। सामुदायिक संसाधन सेवियों (Community Resource Persons) को कार्य करने के उपरांत किया जाने वाला भुगतान पूर्व में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर ही होगा । **ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक सामुदायिक संसाधान सेवी (Community Resource Person) सम्बद्ध जीविका मित्र (Community Mobilizer) की सहायता से प्रति माह कम-से-कम 8-10 सूक्ष्म नियोजन के दस्तावेज तैयार करेंगे। सूक्ष्म नियोजन की तैयारी में जीविका मित्र (Community Mobilizer) की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसके लिए निर्धारित दर पर उन्हें भी भुगतान किया जाएगा।** स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता खोलने और वित्तीय संपोषण की दिशा में दस्तावेज तैयार करने हेतु किये जाने वाले भुगतान में भी इसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि जब सामुदायिक संसाधन सेवी की सेवा दस्तावेज की तैयारी हेतु ली जाये तब प्रत्येक संसाधन सेवी एक दिन में कम-से-कम दो दस्तावेज तैयार करें जो त्रुटि रहित हों। इस आशय की सूचना सभी चिह्नित सामुदायिक संसाधन सेवियों को दी जाय। इस दिशा में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक परिस्थिति का आकलन कर सुनिश्चित करेंगे कि सम्बंधित सामुदायिक संसाधन सेवियों द्वारा जिन समूहों के पक्ष में सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी हो, उनकी बैंक सम्बद्धता से सम्बंधित दस्तावेज भी पूरा कर लिया गया है। सामुदायिक संसाधन सेवियों (Community Resource Persons) की सेवा बीमा एवं वित्तीय समावेशन से सम्बंधित अन्य मुद्दों की दिशा में जागरूकता पैदा करने हेतु भी ली जा सकती है।

(j) **यह निदेशित किया जाता है कि सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक सामुदायिक संसाधन सेवियों (Community Resource Persons) को चिह्नित करते हुए उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण दस्तावेज तथा सूक्ष्म नियोजन तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे।** यह अनिवार्य है कि चिह्नित किये गये संसाधन सेवियों को प्रभावी तरीके से सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं जिला परियोजना समन्वयन इकाई की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो । **जब किसी सामुदायिक संसाधन सेवी का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाय तब ही उसे कार्य आवंटित किया जाय।** गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सामुदायिक संसाधन सेवियों द्वारा किये गये कार्य की आवधिक समीक्षा (Periodic Review) प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक द्वारा की जाय।

(k) जीविका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमिता (Micro Enterprise) के विकास हेतु सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) की सेवा ली जा रही है। पिछले कुछ समय में उन्हें उद्यमिता विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है। **यह निर्णय लिया गया है कि उनकी सेवा का उपयोग सूक्ष्म नियोजन एवं बैंक से सम्बंधित दस्तावेज की तैयारी हेतु लिया जाए ताकि द्वितीय, तृतीय अथवा बाद के चरणों में बैंक से वित्तीय समावेशन एवं सम्पोषण**

(Financial Inclusion and Linkages) की प्रक्रिया मे उनका उपयोग हो सके। वैसे समूह जो बैंकों से द्वितीय, तृतीय या बाद के चरणों में वित्तीय सम्पोषण प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे, वहाँ उद्यमिता के दृष्टिकोण से पर्याप्त परामर्श (Counseling) अपेक्षित है और इसके लिए सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) की सेवा लेने हेतु समुचित योजना बनायी जाय। उन्हें सामुदायिक संसाधन सेवी (Community Resource Person) की कोटि में रखा जायेगा और कार्य उपरांत भुगतान भी इसी आधार पर किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बंध में सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) के कार्यों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और अगर आवश्यक हो तो इनकी सेवाएँ बैंक से प्रथम वित्तीय समावेशन हेतु सूक्ष्म नियोजन तैयार करने के लिए भी ली जायँ। हालाँकि बेहतर यह होगा कि उनकी सेवा द्वितीय/तृतीय या बाद के चरणों के वित्तीय समावेशन हेतु ली जाय। सभी जिला **परियोजना प्रबंधक दिसम्बर, 2014 तक समयबद्ध तरीके से सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) को बैंक संबंधी दस्तावेज एवं सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे और इस सम्बंध में एक प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे ।** वर्तमान में सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) की अवधारणा को गया एवं मुजफ्फरपुर जिले में प्रारम्भ किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन दो जिलों में उनकी सेवा का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाय और सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों से संबंधित पदस्थापित दो यंग प्रोफेशनल्स के सहयोग से एक योजना तैयारी की जाय। सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शियों (Micro Enterprise Consultants) का सहयोग अन्य जिलों में भी लिया जा सकता है। यदि एक जिला के परामर्शी दूसरे जिला में जाते हैं तो इनके भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो सामुदायिक संसाधन सेवियों के मामले में होती है। चूँकि सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शी (Micro Enterprise Consultant) जीविका मित्र के साथ मिलकर काम करेंगे अतः जीविका मित्र (Community Mobilizer) को भी पूर्व में निर्गत प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

(l) **सभी जिलों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) टीम प्रखंड परियोजना प्रबंधकों सहित सभी कर्मियों द्वारा सूक्ष्म नियोजन से सम्बंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मापदंड का निर्धारण करेगी। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन टीम के द्वारा प्रबंधकों, प्रशिक्षण पदाधिकारियों, यंग प्रोफेशन्ल्स एवं जिला परियोजना प्रबंधकों द्वारा किए गए सूक्ष्म नियोजन दस्तावेजों पर भी प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। इसे मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Planning & Progress Report) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।** यह भी आवश्यक है कि कर्मियों एवं संसाधन सेवियों को सूक्ष्म नियोजन की दिशा में प्रशिक्षण विषयक प्रतिवेदन भी अगले 6 महीने तक के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में शामिल किया जाय। सूक्ष्म नियोजन हेतु

सामुदायिक संसाधन सेवियों की पहचान एवं उनका प्रशिक्षण भी जिलों के लिए महत्वपूर्ण सूचक होगा।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निदेशों का शब्द एवं भावना (Letter & Spirit) में क्रियान्वयन करेंगे ताकि पूँजीकरण तथा सामुदायिक संगठनों के गुणवत्तापूर्ण सम्पोषण के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। यह निदेश बेहतर सीखने की कार्यनीति की दृष्टि से निर्गत किया जा रहा है और इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संगठनों में ज्यादा प्रभावी एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है।

सभी कर्मियों को इस कार्यालय आदेश की एक प्रति उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की होगी । इसे सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है ।

10/12/14

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ वित्त पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी/ प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट/ सभी राज्य वित्त प्रबंधक/ सभी सहायक वित प्रबंधक/ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर
2. सभी प्रोग्राम कॉर्डिनेटर/ सभी राज्य परियोजना प्रबंधक/ सभी परियोजना प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ सभी प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक/ सभी प्रबंधक/ सभी प्रशिक्षण पदाधिकारी/ सभी यंग प्रोफेशनल्स/ जिला परियोजना समन्वयन इकाई के सभी कर्मी/ कन्सलटेंट (वित्तीय समावेशन एवं अन्य)
4. सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ सभी प्रभारी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सभी कर्मी
5. एकाउण्ट सेक्शन/ आई.टी. सेक्शन